न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA166 LRs of Magaram Vs State

मगाराम पुत्र छोटूराम माली के कायममुकामान--

1. शंकरलाल पुत्र मगाराम माली
2. जसराज पुत्र मगाराम माली के कायममुकामान--
   a. रामजोत पत्नी जसराज माली
   b. राजेन्द्र पुत्र जसराज माली
   c. रूपाराम पुत्र जसराज माली
   d. त्रिलोकचंद पुत्र जसराज माली

निवासीगण सोढो की ढाणी, ग्राम बागा,
तहसील व जिला जोधपुर

----- **अपीलाण्ट्स**

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
   सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- **रेस्पो.**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 05/2014 राजस्थान सरकार बनाम मगाराम व अन्य

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री बेनाराम पटेल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 05/2014 राजस्थान सरकार बनाम मगाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 23 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर राजस्व ग्राम बडली जिला जोधपुर स्थित अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 304 रकबा 49 बीघा 17 बिस्वा में से 50 गुणा 26 गुणा 2 मीटर कृषि भूमि पर अवैध खनन मानते हुए खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि :

1. अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या एक मगाराम का देहान्त दिनांक 16 दिसम्बर 2002 को ही हो चुका था। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके कायममुकामान को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश एक मृत पक्षकार के खिलाफ पारित कर दिया गया जो आदेश शून्य प्रभावी होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील मीमो के साथ प्रपत्र तीन के संलग्न मृत्यु प्रमाण की न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें मगाराम पुत्र छोगाराम का देहान्त 16 दिसम्बर 2002 को हो जाना अंकित किया हुआ है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2. अप्रार्थी संख्या एक के खिलाफ न तो कोई नोटिस/सम्मन तामील हुआ और न ही अप्रार्थी संख्या एक ने पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता ही नियुक्त किया। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशका दिनांक 02 नवम्बर 2018 में बिना किसी आधार के अंकित कर दिया कि अप्रार्थी अधिवक्ता को जबाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। इनका जबाब पबन्द किया जाता है। पत्रावली दिरनांक 18/11/2018 को पेश हो।
3. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही के लिए मियाद की सीमा तीन साल की है, इसलिए यह देखा जाना आवश्यक था कि कब कार्यवाही की गयी और न्यायालय में धारा 177 के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है अथवा नहीं। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई विवेचन ही नहीं किया।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व प्रकरण की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 की उपधारा 4 के अनुरूप सम्पादित नहीं की गयी है।
5. प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। पटवारी हळका की जिस रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट के खिलाफ समस्त कार्यवाही कर प्रार्थी के खिलाफ बेदखली के आदेश जारी किये गये, स्वयं उस पटवारी के बयान अधीनस्थ न्यायालय में कलमबद्ध नहीं कराये गये है।
6. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की कार्यवाही के तहत नियमानुसार तामील होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की जा सकती है और तामील होने के बाद यदि जबाब पेश होता है तो उस स्थिति में एक नियमित वाद के समान कार्यवाही की जाना होता है, अन्यथा तहसीलदार एवं खनन विभाग को साक्ष्य सबूत पेश कर केस को साबित करना होता है।

अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत असंवैधानिक कृत्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के खिलाफ आलौच्यं अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब को कण्डोन किये जाने हेतु नियमानुसार भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र भी पेश नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि -

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है।
2. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 7 फरवरी 2014 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।
3. दिनांक 11 जून 2015 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी-अपीलाण्ट के नोटिस विधिवत तामील नहीं होने के कारण पुनः पेश होने पर जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 15 दिसम्बर 2017 की आदेशिका में भी अप्रार्थी के नोटिस जारी होकर मिसल दिनांक 05 जनवरी 2018 को पेश होने बाबत लिखा गया है।
4. इसके बाद भी किसी आदेशिका में अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से किसी अधिवक्ता या स्वयं अप्रार्थी-अपीलाण्ट का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अंकित नहीं है और न ही उक्त दिनांक की आदेशिका के अनुसरण में कोई नोटिस जारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जाना अथवा उक्त आदेशिका की दिनांक के बाद कोई नोटिस उक्त अपीलाण्ट पर तामीलशुदा या अदम-तामील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नही है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशका दिनांक 02 नवम्बर 2018 में अंकित कर दिया कि अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर दिये जा चुके है। इनका जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली दिनांक 18/11/2018 को पेश हो। इससे **स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।**

5. अपील मीमों के साथ अपीलाण्ट की ओर से मगाराम पुत्र छोगाराम माली की मृत्यु का प्रमाणपत्र पेश किया गया है। उक्त मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार मगाराम का देहान्त 16 दिसम्बर 2002 को हो चुका था। इसमें वल्दियत में संदेह है। जाहिर है अधीनस्थ न्यायालय में धारा 177 सेपूर्व इस तथ्य की जांच नहीं की है कि मगाराम जीवित है या मृत। इसलिए इसकी जांच हेानी आवश्यक है।
6. उल्लेखनीय है कि दिनांक 06 मार्च 2014 से लेकर दिनांक 29 मई 2015 तक तथा दिनांक 09 जुलाई 2015, 28 अगस्त 2015 तथा 30 अक्तूबर 2015 से 05 दिसम्बर 2017, 5 जनवरी 2018 से 08 जुलाई 2019 तक किसी भी आदेशिका पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरिती के हस्ताक्षर नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही के प्रति घोर लापरवाही बरती गयी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7. समूचे प्रकरण में खसरा संख्या 304 रकबा 49 बीघा 17 बिस्वा में से 50 गुणा 26 गुणा 2 मीटर भू-भाग पर अवैध खनन किया जाना वर्णित करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भू-भाग बाबत अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी निरस्त की जाकर यह भू-भाग राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये है। **मगर यह भू-भाग विशेष है कौनसा? कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं किया गया** है। मौका रिपोर्ट तक में अवैध खनन वाले भू-भाग विशेष की अवस्थिति/हद्‌दो आदि का विवरण नहीं दिया गया है जिससे अपीलाधीन आदेश की कियान्विति में व्यावहारिक कठिनाईयॉ साफ दृष्टिगोचर होती है और अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स के इस कथन को भी बल मिलता है कि समस्त मौका रिपोर्ट आदि कागजी कार्यवाही मात्र है।

8. जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस प्रकरण में समस्त कार्यवाही एक मृतक व्यक्ति के खिलाफ की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, अतः विलम्ब के बिन्दु के स्थान पर मामले के गुणावगुण के वरीयता देते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित समझा गया और अपील मियादशुमार की गयी।

9. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही के लिए मियाद की सीमा तीन साल की है, इसलिए यह देखा जाना आवश्यक है कि कब कार्यवाही की गयी और न्यायालय में धारा 177 के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है अथवा नहीं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि मगाराम की मृत्यु के तथ्य संबंधी जांच कर बाद आवश्यक पक्षकारों के संयोजन उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रार्थनापत्र का उभयपक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर विधिसम्मतः निस्तारण करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर